भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1445
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1445. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के साथ सतत ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार अपर्याप्त गैर-कृषि रोजगार अवसरों , छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और ऋण तक सीमित पहुँच, बढ़ते डिजिटल विभाजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ जल जैसी आवश्यक सेवाओं की समान आपूर्ति जैसी लगातार आने वाली बाधाओं का किस प्रकार समाधान करती है; और
(ग) इन विकास पहलों में प्रभावी कार्यान्वयन और वास्तविक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय शासन निकायों को मजबूत करने हेतु स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई -एनआरएलएम) देश भर में महिला किसानों को प्रशिक्षण देकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देती है। वर्ष भर हैंडहोल्डिंग सपोर्ट और विस्तार सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए , कृषि सखी और पशु सखी नामक सामुदायिक संसाधनजनों का एक नेटवर्क गांव स्तर पर बनाया गया है। भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के तहत महिला किसान के साथ जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए , कृषि सखियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच समन्वय के भाग के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। जून 2025 तक, इस मिशन ने 4.62 करोड़ महिला किसानों को स्थाई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार का एक विशेष कार्यकलाप है , जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली पात्र संपर्कविहिन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करना है। इसे वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में शुरू किया गया था , जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना था।

ख) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत , ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबों , विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों के बीच गैर-कृषि आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कई उप-घटकों को लागू कर रहा है। प्रमुख उप-घटक इस प्रकार हैं:

1. स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी):

एसवीईपी का उद्देश्य उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाकर , वित्त तक पहुँच को सुगम बनाकर और प्रबंधकीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन प्रदान करके ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें मज़बूत बनाना है। 4 वर्षों की अवधि में ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित इस कार्यक्रम के लिए प्रति ब्लॉक ₹6.5 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका लक्ष्य विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में प्रति ब्लॉक 2,400 व्यक्तिगत और समूह उद्यमों को शामिल करना है। एसवीईपी को 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिससे लगभग 3.74 लाख उद्यमों को सहायता मिल रही है।

2. **सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी):**

एमईडी का उद्देश्य वित्त , कौशल विकास और बाज़ार संपर्कों तक पहुँच को सक्षम बनाकर सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। इसे ब्लॉक स्तर पर 18 महीने की परियोजना अवधि और प्रति ब्लॉक ₹20 लाख की लागत के साथ लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम विनिर्माण , व्यापार और सेवा क्षेत्रों में प्रति ब्लॉक 200 उद्यमों को लक्षित करता है। अब तक , एमईडी के तहत लगभग 63,000 उद्यमों को सहायता दी जा चुकी है।

3. **वन स्टॉप सुविधा (ओएसएफ):**

ओएसएफ विकास-चरण वाले सूक्ष्म उद्यमों को व्यापक सहायता प्रदान करता है , जिसमें अनुपालन, बाज़ार पहुँच, बैंक ऋण, उत्पाद विकास और मानकीकरण में सहायता शामिल है। उप-ज़िला स्तर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित , प्रत्येक ओएसएफ की लागत ₹2 करोड़ से ₹6 करोड़ तक है। ओएसएफ के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक का लक्ष्य 150 उद्यमों तक को सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम वर्तमान में 16 राज्यों में संचालित है और इसने लगभग 88,000 उद्यमों को सहायता प्रदान की है।

4. इनक्यूबेटर:

इस पहल का उद्देश्य मार्गदर्शन और पारिस्थितिकी तंत्र के सहयोग से प्रत्येक राज्य में 100-150 महिला-स्वामित्व वाले या महिलाओं के नेतृत्व वाले विकासोन्मुखी उद्यमों का विस्तार करना है। राज्य स्तर पर तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित इस परियोजना की लागत प्रति राज्य ₹10.6 करोड़ है। यह इनक्यूबेटर पहल वर्तमान में 5 राज्यों में सक्रिय है और अब तक 600 उद्यमों को सहायता प्रदान कर चुकी है।

5. क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

यह कार्यक्रम साझा संसाधनों , तकनीकी सहायता , वित्तपोषण और कौशल उन्नयन के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाज़ार जोखिम को कम करने के लिए कारीगरों और क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों की सहायता प्रदान करता है। ब्लॉक , ज़िला या राज्य स्तर पर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यान्वित , इसकी अवधि 4 वर्ष है और परियोजना लागत प्रति क्लस्टर ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ के बीच है। इसका लक्ष्य न्यूनतम 100 कारीगर (कारीगर क्लस्टरों में) या 50 उद्यम (क्षेत्रीय क्लस्टरों में) हैं। यह कार्यक्रम 10 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और लगभग 11,000 उद्यमियों और कारीगरों वाले 21 क्लस्टरों को सहायता प्रदान करता है।

6. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई):

एजीईवाई का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों या समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को दूरदराज के गांवों में वाहन खरीदने और चलाने में सक्षम बनाकर ग्रामीण परिवहन

सेवाओं को बेहतर बनाना है। व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए ₹6.5 लाख और सीबीओ स्वामित्व के लिए ₹8.5 लाख की लागत सहायता प्रदान की जाती है। एजीईवाई 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है और इस योजना के तहत 2,297 वाहन खरीदे गए हैं।

ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से आवश्यक सड़कों के निर्माण हेतु पीएमजीएसवाई के दायरे में पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई-III नामक नई पहल/कार्यकलाप जोड़े गए। पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत, ग्रामीण कृषि मंडियों को बेहतर संपर्कता प्रदान करने के लिए सड़कों का उन्नयन किया गया।

हाल ही में, 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई-IV नामक एक नया कार्यकलाप शुरू किया गया , जिसका लक्ष्य 25,000 संपर्कविहिन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई- IV के कार्यान्वयन की समय-सीमा वित्त वर्ष 2028-29 तक है। शुरुआत से लेकर 24.07.2025 तक, कुल 8,38,611 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है , जिसमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न पहलों/कार्यकलापों के तहत 7,83,341 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो चुकी है।

ग्रामीण सड़क संपर्कता आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है और साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि , फसल पैटर्न में बदलाव , कृषि उपज के बेहतर मूल्य , परिवहन लागत में कमी और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। इस प्रकार , पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है।

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा 2020 में पीएमजीएसवाई सहित ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। जिसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(i) यह पाया गया कि यह योजना भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है और इसे एसडीजी (संवहनीय विकास लक्ष्य) 2 और 9 में योगदान देने में देखा गया है क्योंकि यह गरीबी , भूख और विकास के लिए अवसंरचना के मुद्दों का समाधान करती है।

(ii) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों से परिवार और समुदाय दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

(iii) यह देखा गया है कि सड़कों के निर्माण से बाजार और आजीविका के अवसरों , स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई है।

(iv) पीएमजीएसवाई को ग्रामीण भारत में चिरस्थायी गरीबी के उन्मूलन की नींव रखने के लिए जाना जाता है। बेहतर ग्रामीण संपर्क ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और निरंतर सुधार लाती है क्योंकि यह परिवारों को धन और मानव पूंजी संचय करने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्रालय ने जलवायु-अनुकूल ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कई पहल की हैं। नई/हरित तकनीकों का उपयोग ऐसी ही एक पहल है जिससे न केवल कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है , बल्कि ईंधन की भी बचत हुई है। तेज़ी से घटते प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए , सड़कों के निर्माण में कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, सरफेस ड्रेसिंग , अपशिष्ट प्लास्टिक , नैनो-टेक्नोलॉजी और पूर्ण गहराई पुनर्ग्रहण (एफडीआर) तकनीक जैसी हरित तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है। ये तकनीकें न केवल

उच्च-गुणवत्ता वाली पारंपरिक सामग्रियों के क्षरण को कम करती हैं , बल्कि ग्रीनहाउस गैसों और हवा में मौजूद भारी निलंबित कणों के उत्सर्जन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम करती हैं।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई सामग्रियों/अपशिष्ट पदार्थों/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए लागत प्रभावी और तेज़ निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए , मंत्रालय ने मई 2013 में 'प्रौद्योगिकी पहलों पर दिशानिर्देश' जारी किया था। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे वार्षिक प्रस्तावों की लंबाई का कम से कम 15% हिस्सा नई/हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित करें। मंत्रालय ने नई प्रौद्योगिकी पहल- 2022 पर विज़न दस्तावेज़ भी जारी किया है , जिसमें पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई/हरित प्रौद्योगिकियों/सामग्री के उपयोग को बढ़ाने का प्रावधान है। नई तकनीक के तहत 1,55,614 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है , जिसमें से 25 जुलाई, 2025 तक 1,24,427 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो चुकी है।

ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के बीच समन्वय को बढ़ावा देकर स्थानीय शासन को मज़बूत करने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागी नियोजन , बेहतर सेवा वितरण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

प्रमुख तंत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• **ग्रामीण गरीबी एवं लचीलापन योजना (वीपीआरपी):** 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएचजी नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया वीपीआरपी भागीदारी नियोजन में सहायता करती है और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को मजबूत करती है।

• **ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त परामर्श:** पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक विकास संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

• **ब्लॉक-स्तरीय अभिविन्यास:** निर्वाचित प्रतिनिधियों को वीपीआरपी को जीपीडीपी के साथ एकीकृत करने और सामुदायिक विकास संगठनों को सहायता का उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित किया जाता है।

• **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण:** इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना है।

• **ग्राम पंचायत-स्तरीय अभिविन्यास:** विकास गतिविधियों के लिए सामुदायिक विकास संगठनों के साथ मिलकर काम करने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने पर केंद्रित है।

• **ग्राम पंचायत समन्वय समितियाँ (जीपीसीसी):** स्थानीय आयोजन और समन्वय के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, सामुदायिक विकास संगठनों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए गठित।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, पंचायती राज संस्था की महिलाएं , स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए ट्रांज़ेक्ट वॉक में शामिल होते हैं, जिससे समावेशी योजना सुनिश्चित होती है।